रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223857 CG-DL-E-22122020-223857

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650] No. 650] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

उपभोक्ता मामले. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) अधिसुचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 782(अ).—केन्द्रीय सरकार भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उप धारा (2) के खण्ड (क), (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में तीसरी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:-

6251 GI/2020 (1)

"तीसरी अनुसूची

[नियम 5 और नियम 13 (3) देखें]

प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए आवेदन फीस

रजिस्ट्रीकरण इकाई	फीस
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 500 टन तक है	5,000/- रुपए
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 500 टन से अधिक है, लेकिन 1,000 टन से	7,500/- रुपए
कम या समान है	
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 1,000 टन से अधिक है, लेकिन 2,500 टन से	10,000/- रुपए
कम या समान है	
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 2,500 टन से अधिक है, लेकिन 5,000 टन से	15,000/- रुपए
कम या समान है	
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 5,000 टन से अधिक है, लेकिन 10,000 टन से	20,000/- रुपए
कम या समान है	
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 10,000 टन से अधिक है, लेकिन 25,000 टन	25,000/- रुपए
से कम या समान है	
प्रत्येक भांडागार जिसकी क्षमता 25,000 टन से अधिक है	30,000/- रुपए

जहां आवेदक या भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति है, तो फीस 5000 रुपए प्रति भांडागार होगी।"

3. उक्त नियम में सातवीं अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:-

"सातवीं अनुसूची [नियम 18 (1) और (2) देखें]

प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम शुद्ध मालियत अपेक्षाएं

भंडार क्षमता (टन में)	शुद्ध मालियत (करोड़ रुपए में)
500 तक	0.04
501 – 1,000	0.08
1,001 – 1,500	0.12
1,501 – 2,000	0.16
2,001 – 2,500	0.20
2,501 – 5,000	0.40
5,001 – 7,000	1.00
7,001 – 10,000	2.00
10,001 – 15,000	5.00
15,000 – 25,000	10.00

25,001 – 75,000	20
75,001 – 1,50,000	30
1,50,001 – 5,00,000	50
5,00,001 और इससे अधिक	100

जहां आवेदक या भांडागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति है, तो शुद्ध मालियत सकारात्मक होनी चाहिए।"

> [फा. सं. टीएफसी-04-2016] नन्दिता गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3 उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 165 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. संख्या 1040 (अ) तारीख 22 अगस्त, 2017 तथा सा.का.नि. संख्या 251 (अ) तारीख 20 मार्च, 2018 द्वारा और संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2020

- **G.S.R. 782(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 (herein after referred to as the said rules), for the Third Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

"The Third Schedule

[See rules 5 and 13 (3)]

Application fees for registration and renewal with the Authority

Unit of registration	Fee
Each warehouse with a capacity of upto 500 Ton	Rs. 5,000/-
Each warehouse with a capacity of more than 500 Ton but less than or equal to 1,000 Ton	Rs. 7,500/-
Each warehouse with a capacity of more than 1,000 Ton but less than or equal to 2,500 Ton	Rs. 10,000/-
Each warehouse with a capacity of more than 2,500 Ton but less than or equal to 5,000 Ton	Rs. 15,000/-
Each warehouse with a capacity of more than 5,000 Ton but less than or equal to 10,000 Ton	Rs. 20,000/-
Each warehouse with a capacity of more than 10,000 Ton but less than or equal to 25,000 Ton	Rs. 25,000/-

Each warehouse with a capacity of more than 25,000 Ton

Rs. 30,000/-

Where the applicant or warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Primary Agricultural Cooperative Credit Society, the fee shall be Rs. 5,000 per warehouse."

3. In the said rules, for the Seventh Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

"The Seventh Schedule

[See rule 18 (1) and (2)]

Minimum net worth requirements for registration with the Authority

Storage capacity (in Tons)	Net worth (Rupees in crores)
Upto 500	0.04
501 – 1,000	0.08
1,001 – 1,500	0.12
1,501 – 2,000	0.16
2,001 – 2,500	0.20
2,501 – 5,000	0.40
5,001 – 7,000	1.00
7,001 – 10,000	2.00
10,001 – 15,000	5.00
15,000 – 25,000	10.00
25,001 – 75,000	20
75,001 – 1,50,000	30
1,50,001 – 5,00,000	50
5,00,001 and above	100

Where the applicant or warehouseman is a Farmer Producer Organisation or a Primary Agricultural Cooperative Credit Society, the net worth shall be positive."

[F. No. TFC-04-2016]

NANDITA GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 165(E), dated the 23rd February, 2017 and amended *vide* number G.S.R. 1040(E), dated the 22nd August, 2017 and further amended *vide* number G.S.R. 251(E), dated the 20th March, 2018.